

(वन भूमि मांग का औचित्य)

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

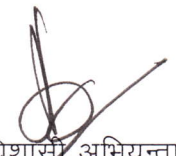
जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.50 कि०मी० लम्बाई हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 382/111(2)/17-10(एम०एल०ए०)/2017 दिनांक 01.08.2017 द्वारा रु० 8.04 लाख की प्राप्त हुई है।

उक्त मार्ग के नव निर्माण हेतु समरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक 1141/254 याता०-8/2017 दिनांक 16.03.2018 से स्वीकृत है एवं मलेथा ग्वाड़टोला मोटर मार्ग से सेमवालगांव तक की दूरी लगभग 1.500 कि०मी० है। जिससे कि ग्रामवासियों को मलेथा से 1.500 कि०मी० की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। सेमवाल गांव तक मोटर मार्ग ले जाने हेतु नाप भूमि के साथ-साथ सिविल वन भूमि की भी नितान्त आवश्यकता हैं बिना सिविल भूमि के मार्ग निर्माण सम्भव नहीं है एवं वर्तमान में सेमवालगांव हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। अतः इस ग्राम को संयोजित किया जाना औचित्य पूर्ण है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ पाते हैं, और काश्तकारों को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता है। इस मोटर रमार्ग के बनने से जहां लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिये उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 0.8050 हे० नाप भूमि, 0.2795 हे० में सिविल वन भूमि, शून्य हे० वन पंचायत भूमि, 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, अर्थात् 0.2795 हे० वन भूमि हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।


जनपद टिहरी गढ़वाल
भाषिकनाथ रेज
अधिवक्ता
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती


उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग